अशासकीय पत्र स0–1/शा0/12/2020–1/105/2020 **तृतीय आवटन**

लखनऊ दिनांक 27 अगस्त, 2020 अनुदान सं0–61

लेखाशीर्षक–3604001980301

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर निदेशक(प्रशा0)
पचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया विशष सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 शासनादश सख्या–30/2020/बा–2–168/दस–2020–1/2020 दिनांक 14 अगस्त, 2020 द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये वर्ष 2020–21 में सामान्य समनुदेशन हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 620000.00 लाख में से रू. 516.67 करोड़ त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्नानुसार जिला पचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतवार अवमुक्त किया जाना है:–

(धनराशि लाख में)

मद	शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2020 द्वारा अवमुक्त	प्रिट प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है।	पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवशेष धनराशि (2–3)	जिला पंचायतों हेतु परिक्रमी निधि की 01 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है।	आवंटित की जा रही धनराशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
जिला पंचायत	–	–	7738.425	77.384	7661.041
क्षेत्र पंचायत	–	–	7738.425	–	7738.425
ग्राम पंचायत	–	–	36112.650	–	36112.650
योग–	**51667.000**	**77.500**	**51589.500**	**77.384**	**51512.116**

उपयुक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जा रही है–

1– आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरण कर सीधे जिला पंचायतों, क्षेत्र पचायतो तथा ग्राम पचायतों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

2– पचायतीराज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा म निदशक, पचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

3– याजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पचायता का बैंक खाता तथा आइ0एफ0एस0सो0 कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

4– धनराशि क आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पचायतीराज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयाजन के लिये धनराशि आवंटित की रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

6– याजना प्रभारी आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयाग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचेत उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

उक्त व्यय वित्तीय वष 2020–21 क आय–व्ययक का अनुदान स0–61 क अन्तगत निम्नांकित लखाशीर्ष '3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–198–ग्राम पचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–01 सामान्य समानुदशन–28 समनुदशन'' क नाम डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पष्ठ सं0–79 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

संख्या–1/शा0/12/1/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 14.08.2020 के क्रम में।
4. निदेशक पंचायतीराज (लेखा) दसवॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, प्रिट लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
11. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1 दयानन्द मार्ग सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज–211001
12. उपनिदेशक (पं0)/योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि तत्काल पंचायतीराज संस्थाओं के खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करें।
13. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लोहिया भवन अलीगंज लखनऊ को पत्र दिनांक 26.08 2020 के क्रम में।
14. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायती राज उ0प्र0।

सख्या- 30/2020/बी-2- 168 /दस-2020-1/2020

1/बी/12/2020

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2020

विषय-राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को सामान्य समनुदेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अनुदान संख्या 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के लेखाशीर्ष "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन " के अन्तर्गत व्यवस्थित कुल धनराशि रूपये 6200.00 करोड़ (रूपये छः हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 516.67 करोड़ (रूपये पाँच सौ सोलह करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या-27/2020/बी-2-135/दस-2020-2/2019, दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदान कर दी गयी हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार व्यवस्थित धनराशि में से राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत, जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को सामान्य समनुदेशन हेतु धनराशि रूपये 516.67 करोड़ (रूपये पाँच सौ सोलह करोड़ सरसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है, जिसे मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं हेतु सामान्य समनुदेशन मद में स्वीकृत कुल धनराशि रुपये 1033.34 करोड़ हो जायेगी।

अब स्वीकृत की जा रही धनराशि रुपये 516.67 करोड़ निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायतीराज के उत्तर प्रदेश निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य आयोग की संस्तुतियों पर विचार करने हेतु गठित मा0 मंत्रिपरिषद की उपसमिति की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा।

(2) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी।

(4) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायती राज संस्थाओं का बैंक खाता आई.एफ.एस.सी कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(5) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके के लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

17/08/2020
(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायतीराज उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगें।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगा:-

क्र.सं	पंचायत	लेखाशीर्ष
1.	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 196- जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन"
2.	ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 197- ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन"
3.	ग्राम पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन"

भवदीय.

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-30/2020/बी-2-168(1)/दस-2020-1/2020, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2
5- पंचायती राज अनुभाग-3
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से.

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।